## बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग

संख्या- बा0/रू0/स्था0-18/2017- 504

पटना, दिनांक- २१.09.२०17

### अधिसूचना

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा--115(1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद द्वारा बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:--

"बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2017"

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :--

(1) यह नियमावली बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली 2017 कहलायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2 उक्त नियमावली 2003 के नियम 4.9.3 के अधीन गठित 'राज्य तकनीकी सलाहकार समिति' निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

## "राज्य तकनीकी सलाहकार समिति"

1	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपाकंण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
3	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज	सदस्य
5	निदेशक, वाल्मी, जल संसाधन विभाग, फुलवारीशरीफ, पटना	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार	सदस्य
7	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर	सदस्य
8	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	सदस्य
9	मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
10	अभियन्ता प्रमुख लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
11	अभियन्ता प्रमुख पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
12	निदेशक, कृषि विभाग, पटना	सदस्य
13	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पटना द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
14	मुख्य अभियन्ता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	सदस्य
15	मुख्य अभियन्ता, (ब्रीज) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश	सदस्य
	68	

16	मुख्य अभियन्ता, पूर्व रेलवे, 17 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता–01	सदस्य
17	मुख्य अभियन्ता, (ब्रीज) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे, मालीगॉव, गुवाहाटी, आसाम	सदस्य
18	मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
19	संयुक्त निदेशक, एफ०एम०आई०एस०सी०, अनिसाबाद, पटना	सदस्य
20	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना	सदस्य
21	अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण रूपाकण अंचल, पटना	सदस्य सचिव

3. शेष अन्य नियम पूर्ववत् रहेंगी।

504

504

बिहार राज्यपाल के आदेश से

59.17

( योगेश्वरधारी सिंह ) सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक- 504 /पटना, दिनांक-21.09.2017 प्रतिलिपि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, विधि विभाग/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) जल संसाधन विभाग, पटना/ अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पटना / सलाहकार समिति के सभी सदस्य एवं सदस्य सचिव/अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं0- 1/2/3/4 एवं बाढ़ नियंत्रण योजना मोनिटरिंग अंचल/सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.09.17

( योगेश्वरधारी सिंह ) सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक—

/ पटना, दिनांक- 21.09.2017

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Bangh 21.09.17

( योगेश्वरधारी सिंह ) सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक--

/ पटना, दिनांक- ११-०१-२०१२

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, प्रभारी कम्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

्रे**२ : 09:1** ( योगेश्वरधारी सिंह ) सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

# Government of Bihar Water Resources Department

Letter No बा0 / रू0 / स्था018 / 2017 50 4

/Patna, dated- 21.09.2017

# **Notification**

In exercise of the power conferred by Bihar Irrigation Act 1997, under Section – 115(1) & (2) the Government of Bihar is pleased to modify Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rules, 2003 and make the following rules to amend the Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage Rules, 2003 :-

- 1. Short name, extent & commencement :-
  - (1) This rule will be known as Bihar Irrigation, Flood Management and Drainage (Amendment) Rule, 2017.
  - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.

2. State Technical Advisory Committee constituted under Rule 4.9.3 of the said Rules, 2003 will be substituted by the following:-

1	Chief Engineer, Central Design, Research & Quality Control, WRD, Patna	Chairman
2	A Member Nominated by Chairman GFCC, Patna	Member
3	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Birpur	Member
4	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Gopalganj	Member
5	Director , WALMI, WRD, Phulwarisharif, Patna	Member
6	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Katihar	Member
7	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Samastipur	Member
8	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Muzaffarpur	Member
9	Chief Engineer, Master Planning Investigation & Project Preparation, WRD, Patna	Member
10	A Member Nominated by Engineer-In-Chief, Minor Water Resources Department, Bihar	Member
11	A Member Nominated by Engineer-In-Chief, Road Construction Department, Bihar	Member
12	Director, Agriculture Department, Patna	Member
13	A Member Nominated by Principal Chief Forest Conservator, Patna	Member
14	Chief Engineer, Eastern Central Railway, Hajipur	Member
15	Chief Engineer (Bridges), N.E. Railway, Gorakhpur, U.P.	Member
16	Chief Engineer, Eastern Railway, 17, Netaji Subhash Road, Calcutta-700001	Member
17	Chief Engineer (Bridges), N.E.F. Railway, Maligaon, Gauhati, Assam	Member

#### "State Technical Advisory Committee "

18	Chief Engineer, Flood Control & Drainage, WRD, Patna	Member
19	Joint Director, FMISC, Anisabad, Patna	Member
20	Superintending Engineer, Flood Control Planning & Monitoring Circle, Patna	Member
21	Superintending Engineer, Flood Control Design Circle, Patna	Member
		Secretary

3. Remaining other rule will remain same.

504

By Order of the Governor of Bihar. (Yogeshwar Dhari Singh) Joint Secretary (Engg.) Government of Bihar /Patna, dated- 21.09.2017

Memo No.

Copy to the Principal Secretary, Water Resources Department / Secretary, Law Department/ Private Secretary to the Hon'ble Minister, Water Resources Department/Engineer-in-Chief (HQ), Water Resources Department / Engineer-in-Chief , Minor Water Resources Department/ Engineer-in-Chief, Road Construction Department/ Chairman, GFCC, Gol, Patna/ Principal Chief Forest Conservator, Patna/ All the members and member- secretary of State Technical Advisory Committee/Superintending Engineer, Planning & Monitoring Circle 1/2/3/4/Flood Control/Irrigation Monitoring Circle, Patna for information and necessary action.

Bark-21.09.17

(Yogeshwar Dhari Singh) Joint Secretary (Engg.) Government of Bihar 504 Memo No. /Patna, dated 21.09.2017 Copy to the Superintendent, State Press, Gulzarbag, Patna for information and to publish in the Next Gazette of Bihar.

21.09117

(Yogeshwar Dhari Singh) Joint Secretary (Engg.) Government of Bihar

Memo No. 504

/Patna, dated - 91.09.9017

Copy to the Executive Engineer, In-charge Computer Cell, Water Resources Department, Sinchai Bhawan, Patna for published in the department's web site.

(Yogeshwar Dhari Singh) Joint Secretary (Engg.) Government of Bihar